न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजू शर्मा , आर.ए.एस.

––

प्रकरण संख्या– 19/2021 प्रार्थना पत्र दिनांक: 19.07.2021

उनवान

सवा पिता वरदा जी जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी उदपुरा तहसील भदेसर

.................प्रार्थी

।। बनाम ।।

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ़
2. कंकू बाई पत्नि सवा जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी उदपुरा तहसील भदेसर

.........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट
एंव 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित– श्री उदय लाल गाडरी वकील प्रार्थी

हस्तगत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 1 व 2 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि –

1. यह कि प्रार्थी के परिवार की खातेदारी, आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक आराजी मौजा ग्राम गाडरियों की ढाणी, पटवार हल्का भदेसर तहसील भदेसर में खाता संख्या 06 आराजी नम्बर 318 रकबा 1.7300 हैक्टेयर इसी प्रकार मौजा उदपुरा प0ह0 भालुण्डी तहसील भदेसर खाता सं0 41 की आराजी नंबर 159 रकबा 0.0900 हैक्टर गे0मु0चाह, खाता सं0 40 की आराजी नं0 128 रकबा 0.2300 हैक्टेयर,आराजी नं0 143 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, आराजी नं0 148 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नं0 167 रकबा 0.5200 हैक्टैयर, आराजी नं0 243 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, आराजी नं0 244 रकबा 0.6600 हैक्टेयर,आराजी नं0 276 रकबा 0.1300 हैक्टैयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.2800 हैक्टेयर स्थित है।
2. प्रार्थी का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है।

वरदा(फोत)

सवा पुत्र(प्रार्थी) अणछीबाई (फोत)

मुल पुरूष वरदा जी थे जिनके एक पुत्र सवा हुआ तथा पत्नि अणछीबाई थी। अणछीबाई को देहांत हो चुका है तथा वर्तमान में सवा एकमात्र वारिस प्रार्थी सवा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:51:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

3. प्रार्थना पत्र की कलम सं0 01 में वर्णित आराजीयात जो प्रार्थी के पिता वरदा जी के जमाने से चली आ रही है जिस पर प्रार्थी अपने पिता के समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थी के पिता वरदा एवं माता अणछीबाई का देहांत हो चुका है जबकि राजस्व कर्मचारियो द्वारा वरदा के विधिक वारिसान की जांच किये बिना एवं ना कि किसी हक अधिकार के, प्रार्थी के बजाए वादग्रस्त खाता सं0 06 में प्रार्थी की माता का नाम दर्ज कर दिया इसी प्रकार खाता सं0 41 व 40 में प्रार्थी के बजाए प्रार्थी की पत्नि कंकू बाई जो वरदा की पुत्रवधु है का नाम वरदा की पत्नि के रूप में दर्ज कर दिया जो कि गलत है। इसलिये प्रार्थी सवा वर्तमान राजस्व रेकार्ड एवं जमाबंदी रेकार्ड में वरदा जी एवं अणछीबाई का विधिक वारेसान होने से खाता नं0 6 में अणछीबाई के बजाए अपना नाम सवा, खाता सं0 41 व 40 में कंकू बाई के बजाए अपना नाम सवा की घोषणा करवा कर इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी है एवं अणछीबाई एवं कंकू बाई का नाम विलोपित कराने का अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र पेश किया है।

अतः पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की कलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात को वर्तमान राजस्व रेकार्ड व जमाबंदी रेकार्ड में वरदाजी एवं अणछीबाई का विधिक वारिस होने से खातां स. 06 में अणछीबाई के बजाय प्रार्थी सवा का नाम एवं खाता सं. 41 व 40 में कंकू बाई के बजाय प्रार्थी सवा का नाम घोषित कराया जाकर इसी अनुसार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराया जावे तथा कागजात पटवार में इसी अनुसार अमल दरामद कराया जावे एवं कंकू बाई एवं अणछी बाई का नाम विलोपित किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । बरोज पेशी विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र के तलब किया, इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। प्रतिप्रार्थी सं 02 कर तरफ से इकबालिया जवाब पेश किये जाने से तनकी कायम नहीं की गई। प्रार्थना पत्र के समर्थन मे प्रार्थी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये :–

1. आधार कार्ड संख्या 502653266867 कंकू बाई
2. भामाशाह कार्ड कंकू बाई संख्या पहचान संख्या YICFSDB
3. नकल जमाबंदी ग्राम गाडरियो की ढाणी खाता संख्या 6 संवत् 2076–2076
4. नकल जमाबंदी ग्राम उदपुरा खाता संख्या 41 संवत् 2076–2076
5. नकल जमाबंदी ग्राम उदपुरा खाता संख्या 40 संवत् 2076–2076
6. नामांतरकरण रजिस्टर ग्राम उदपुरा प0ह0 भालुण्डी

बहस सुनी गयी। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से प्रति[illegible] है कि प्रार्थी सवा ही वरदा एवं अणछीबाई का विधिक वारिस है। प्रार्थी सवा मौजा गा[illegible]यों [illegible] ढाणी प0ह0 भदेसर की खाता सं0 06 मे अणछी बाई का नाम विलोपित किया जाकर [illegible] वरदा मेघवाल एवं मौजा उदपुरा प0ह0 भालुण्डी की खाता सं0 41 व 40 में कंकू बाई का नाम विलोपित किया जाकर सवा पिता वरदा मेघवाल दर्ज करवा कर खाता सं0 06 में से [illegible]छी बाई एवं खाता सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:51:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

41 व 40 में से कंकू बाई का नाम विलोपित करवाना चाहता है। जो उचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि मौजा ग्राम गाडरियों की ढाणी, प0ह0 भदेसर तहसील भदेसर खाता संख्या 06 के आराजी नम्बर 318 रकबा 1.7300 हैक्टेयर में राजस्व रेकार्ड में दर्ज अणछीबाई पत्नि वरदा के बजाय सवा पिता वरदा मेघवाल इसी प्रकार मौजा उदपुरा प0ह0 भालुण्डी तहसील भदेसर खाता सं0 41 की आराजी नंबर 159 रकबा 0.0900 हैक्टर गे0मु0चाह, खाता सं0 40 की आराजी नं0 128 रकबा 0.2300 हैक्टेयर,आराजी नं0 143 रकबा 0.3200 हैक्टेयर, आराजी नं0 148 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी नं0 167 रकबा 0.5200 हैक्टैयर, आराजी नं0 243 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, आराजी नं0 244 रकबा 0.6600 हैक्टेयर,आराजी नं0 276 रकबा 0.1300 हैक्टैयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.2800 हैक्टेयर में राजस्व रेकार्ड में दर्ज कंकू बाई पत्नि वरदा के बजाय सवा पिता वरदा पिता मेघवाल शुद्धि से राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर सवा पिता वरदा मेघवाल को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। शेष प्रविष्ठियां यथावत रहेगी । निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजी जावें । उक्त प्रकार से नाम में शुद्धि होने से प्रार्थी/विपक्षीगण अपने पूर्व नाम के किसी भी ऋण, भार, बोझ ,प्रभार के दायित्वों से विमुक्त नहीं हो सकेगें।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.01.03 13:51:11 IST
Reason: SelfAttested